

2016/00025

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर कैम्प कोर्ट जसोल

पीठासीन अधिकारी—श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 20/2015

प्रार्थी

सार्वजनिक रामद्वारा(वैष्णव
संप्रदाय) जसोल ट्रस्ट ग्राम
जसोल जरिये अध्यक्ष श्री
रघुवीर महाराज अध्यक्ष
सार्वजनिक रामद्वारा(वैष्णव
संप्रदाय)जसोल ट्रस्ट ग्राम
जसोल तहसील, पचपदरा

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत जसोल
2. अरविंद कुमार पुत्र धीगड़मल
3. जेटमल पुत्र धीगड़मल
जाति ओसवाल निवासी
जसोल तहसील, पचपदरा

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 निरस्त
करने पट्टा संख्या 253 दिनांक 19.12.2004 जो ग्राम पंचायत जसोल द्वारा
जारी किया गया।

उपस्थित:—1. पवन सिंहल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत जसोल अप्रार्थी
संख्या 01 की ओर।
3. श्री अमृत जैन अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।

निर्णय


दिनांक 26.05.2016


1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने सरपंच ग्राम पंचायत जसोल के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम पंचायत जसोल की आबादी भूमि में भूखण्ड आया हुआ है। इसलिये उक्त भूखण्ड का पट्टा दिलवाने की कृपा करावें। इस पर ग्राम पंचायत, जसोल ने पत्रावली कायम कर भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का पुराना कब्जा होना बताते हुए दिनांक 19.12.2004 को आबादी भूमि का 44.44 वर्ग गज का पट्टा संख्या 253 जारी कर दिया। प्रार्थी का यह कथन है कि जारी पट्टा की भूमि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत जसोल ने नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने इस पट्टा को अपने आधिपत्य व स्वामित्व एवं गलत व नियम नियम विरुद्ध जारी होना बताते हुए अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में जारी इस पट्टा को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर



2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ जारी किये एवं ग्राम पंचायत जसोल से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया।
3. अप्रार्थी संख्या संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता श्री अमृत जैन हाजिर आये जिन्होंने निगरानी के पद संख्या 02 से 11 गलत होने अस्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।
4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट जसोल में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण उपस्थित रहे। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित रहे। जिन्होंने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।
5. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत जसोल से प्राप्त रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की। इस सम्बन्ध में हमने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1996 के नियम जिसमें आबादी भूमि के हस्तांतरण के नियम दिये हुए हैं, का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत जसोल ने पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत बनाये आबादी भूमि के बिक्री एवं आवंटन के नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड कय करना चाहता है अथवा पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के 25/-की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/-जमा कराने चाहिये। मगर इस मामले में अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा राशि जमा कराने का कोई साक्ष्य पंचायत की पत्रावली में नहीं है। अप्रार्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित भूखण्ड का एक नजरी नक्शा भी पेश करना चाहिये, जो नहीं किया गया है। नियम 146 के तहत 3 पंचों की समिति नियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड में अंकित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। पत्रावली पर रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध है। मगर मौका रिपोर्ट में उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का कितने वर्षों से कब्जा है एवं अप्रार्थी का मकान एवं दुकान बना हुआ है अथवा नहीं इसका अंकन मौका निरीक्षण रिपोर्ट में नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि इस भूखण्ड पर अप्रार्थी का





 जिला कलेक्टर
 बाड़मेर



कितने वर्षों से कब्जा है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थल पर दो प्रतिष्ठाित व्यक्तियों के रुबरु चस्पा करनी चाहिये थी। इस मामले में नोटिस जारी किया गया है मगर नोटिस की प्रतियां किस किस स्थल पर चस्पा की गई है उसका अंकन नहीं किया गया है। यह पट्टा ग्राम पंचायत ने किस नियम के तहत जारी किया गया है, विवरण अंकित नहीं है। इस मामले में मौका कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में निर्मित मकान होना और पुराना होना अथवा दुकान होना नहीं बताया है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में जारी पट्टा की भूमि उनकी आधिपत्य एवं पट्टा सूद भूमि है जिस पर प्रार्थी ट्रस्ट का 60 वर्षों से कब्जा है। अप्रार्थी का यह कथन कि उसके पक्ष में इस पट्टा की भूमि प्रार्थी रामद्वारा के स्वामित्व की नहीं है। देवस्थान विभाग में रामद्वारा के द्वारा प्रस्तुत नक्शे में रामद्वारे के भूमि के बाहर अन्य दुकान बताई है और उसी में वादग्रस्त दुकान शामिल है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने वादग्रस्त भूमि-दुकान के रूप में हस्तीमल पुत्र सिरेमल से दिनांक 17.03.88 को खरीदना बताया है। अतः ग्राम पंचायत जसोल ने इन तथ्यों पर विवेचन नहीं किया है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही विवरण में दिनांक 20.11.2004 में सरपंच ने मकान का पट्टा जारी करने का आदेश दिया है और यह पट्टा नियम 157(2) के तहत 450/- वसूल कर जारी किया गया इससे स्पष्ट नहीं है कि अप्रार्थी का भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है अथवा नहीं एवं मकान का पट्टा जारी किया गया है अथवा दुकान का, स्पष्ट नहीं है। इस मामले में विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दोनो पक्षो द्वारा परस्पर विरोधी दावे प्रकट किये जा रहे हैं। दोनो पक्षों द्वारा बहस में जो तथ्य प्रकट किये गये हैं उससे भी यह पाया जाता है कि जिन भूखण्ड को लेकर पट्टा जारी किया गया है उस पर दोनो पक्षों में विवाद चल रहा है और नियम 145 से 157 की पूर्ण पालना नहीं की गई है एवं निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना एवं जाँच किये बिना ही ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जो खारिज करने योग्य है।

- उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 अरविंदकुमार एवं जेठमल के पक्ष में जारी आबादी भूमि का पट्टा संख्या 253 दिनांक 19.12.2004 को खारिज किया जाता है और


जिला कलेक्टर
बाड़मेर

मामला सरपंच ग्राम पंचायत जसोल को इस निर्देश के साथ प्रति-प्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर एवं दोनो पक्षों से साक्ष्य सबूत रिकॉर्ड पर लेते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 में अंकित प्रक्रिया को अपनाते हुए मामले में नियमानुसार पुनः उचित आदेश पारित करें।



(Signature)

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर

बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प जसोल में आज दिनांक 26.05.2016 को सुनाया गया

(Signature)

जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर

बाड़मेर